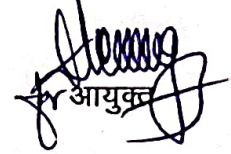


कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रं./ 03 /न.पा.नि/15वें वित्त-विद्युतीकरण/2024-25/ बीरगांव, दिनांक 05/11/2024

मैन्यूअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना (IInd Call)

निकाय द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत निकाय के विभिन्न स्थानों में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य (11 कार्य) हेतु विद्युत अनुज्ञापिधारी फर्मों/ठेकेदारों से निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर. प्रभावशील दिनांक 01.06.2020 (निविदा तिथि तक यथा संशोधित) से प्रतिशत दर पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से तीन लिफाफा पद्धति में सील बंद निविदाएं आमंत्रित हैं। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 18.11.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक। निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 19.11.2024 सायं 5.00 बजे तक। निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25.11.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक। प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 25.11.2024 सायं 4.00 बजे। निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाइट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।


आयुक्त

पृ. क्रं./ 04 /न.पा.नि/15वें वित्त-विद्युतीकरण/2024-25/ बीरगांव, दिनांक 05/11/2024
प्रतिलिपि :-

01. निज सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. निज सहायक, मान. विधायक, रायपुर ग्रामीण की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. निज सहायक, मान. महापौर, नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
04. एम.आई.सी. सदस्य (जलकार्य/विद्युत विभाग) नगर पालिक निगम, बीरगांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
05. संपादक, दैनिक समाचार पत्र..... रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ स्तरीय समस्त संस्करणों में समाचार पत्र के आगामी साधारण अंक में एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु सादर प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरांत प्रकाशित समाचार पत्र की कम से कम तीन प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
06. डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।
07. कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.) की वेबसाइट www.nagarnigambirgaon.com में अपलोड करने तथा नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।


आयुक्त
नगर पालिक निगम बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)

निविदा की शर्तें

निविदा सूचना कं. 03/05.11.2024 (IInd Call)

15वें वित्त-विद्युतीकरण

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
 02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
 03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
 04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता (कार्य समूह कं. 1 से 11 के लिये) :-
 - (1) विद्युत निरीक्षण बोर्ड से फर्म/प्रोप्राइटर का जीवित अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र/लाईसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र।
 - (2) यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र।
 - (3) पैन कार्ड।
 - (4) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - (5) जी.एस.टी. का पिछले तीन माह अर्थात् माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2024 के रिटर्न की प्रति।
 - (6) फर्म का 2021-22, 2022-23, 2023-24 का आई.टी.आर.।
 - (7) बैंक साल्वेंसी :- रु. 5.00 लाख से 25.00 लाख तक के कार्यों के लिए :- रु. 03.00 लाख का राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो।
 - (8) विद्युत पोल तार विस्तारीकरण कार्य का न.पा.नि./न.पा.प./न.पं. अथवा शासकीय विभागों में कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का कार्यानुभव के साथ साथ एक अनुबंध/एक कार्यादेश में निविदा लागत राशि के 50 प्रतिशत राशि के बराबर का कार्यानुभव प्रमाण पत्र। (स्पष्ट किया जाता है कि कार्यादेश की प्रति कार्यानुभव प्रमाण - पत्र नहीं है। अतः कार्यानुभव प्रमाण - पत्र जो आयुक्त, नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.प./न.पं. अथवा किसी भी शासकीय अथवा न.पा.नि. के कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारी द्वारा जारी की गई हो, उसे ही मान्य किया जावेगा।)
 - (9) किसी शासकीय विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रु. 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र।
- स.कं. 04 (1) से 04 (8) तक इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी। तथा स.कं. 04 (9) की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगी।
05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए अलग-अलग आवेदन और हर आवेदन के साथ कण्डिका कं. 04 (1) से 04 (8) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा तथा सभी समूहों के लिये स.कं. 04 (9) की मूल प्रति पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।
 06. अमानत राशि :- अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी।

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाख रु.)	अमानत राशि (रु.) (एफ.डी.आर.)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु.)
1	वार्ड कं. 05 नउवा तालाब उरला में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई. डी. लाइट स्थापना कार्य । विद्युत पोल विस्तारीकरण।	14.55	11000.00	750.00
2	वार्ड कं. 06 दर्री तालाब अछोली में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई. डी. लाइट स्थापना कार्य । विद्युत पोल विस्तारीकरण।	14.53	11000.00	750.00

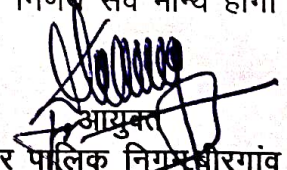
3	वार्ड कं. 01 मुक्तिधाम चरला में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
4	वार्ड कं. 14 रामायण मेला मैदान में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	14.43	11000.00	750.00
5	वार्ड कं. 14 मुक्तिधाम रांवाभांठा में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
6	वार्ड कं. 17 मुक्तिधाम उरकुरा में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
7	वार्ड कं. 23 धाप तालाब बीरगांव में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
8	वार्ड कं. 25 रौव देवता मंदिर बीरगांव में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
9	वार्ड कं. 25 आंगनबाड़ी के पास बीरगांव में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
10	वार्ड कं. 26 साहड़ा देवता के पास बीरगांव में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00
11	वार्ड कं. 27 मुक्तिधाम बीरगांव में विद्युत पोल केबल तार विस्तारीकरण एवं एल.ई.डी. लाईट स्थापना कार्य ।	7.21	5500.00	750.00

07. सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।

08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. उपयोग किया गया/आपूर्ति किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क का होना अनिवार्य है। कार्य से संबंधित सामग्री निकाय में उपलब्ध सेम्पल से मिलान करने के उपरांत ही उपयोग करना होगा।
11. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र कय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र "ए" नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाइट www.nagarnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी./एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका कं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

13. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
14. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
15. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
16. दर समस्त करों सहित प्रस्तुत करना होगा।
17. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूल की जावेगी।
18. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्यों को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
19. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-5/190/18/05 रायपुर दिनांक 19/01/2012 के अनुसार :- "सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त/आयुक्त के नाम से देय होगा, जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।"
20. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव के पास सुरक्षित रहेगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय सर्व मान्य होगा।




 आयुक्त
 नगर पालिक निगम बीरगांव
 जिला-रायपुर (छ.ग.)